भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1714

उत्तर देने की तारीख : 03.08.2026

नई रोशनी योजना के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

1714. श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नई रोशनी योजना ने नेतृत्व प्रशिक्षण और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है;

(ख) इस योजना के प्रारंभ से अब तक देश भर में इसके अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की कुल संख्या कितनी है तथा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लाभार्थियों की हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) उत्तर प्रदेश में वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत शामिल जिलों की संख्या कितनी है तथा अभी तक इस योजना से वंचित अथवा आकांक्षी जिलों तक इसका विस्तार करने के संबंध में सरकार की क्या योजना है; और

(घ) राज्य में नई रोशनी योजना का महिला सशक्तीकरण, डिजिटल साक्षरता और आजीविका सृजन की अन्य योजनाओं के साथ किस सीमा तक अभिसरण हुआ है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): नई रोशनी, जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो अल्पसंख्यक महिलाओं को उनके अधिकारों तथा 'नेतृत्व विकास' से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक कर उन्हें सशक्त बनाने तथा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के प्रशिक्षण मॉड्यूल में महिलाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल तथा सामाजिक एवं व्यवहारगत बदलावों हेतु जन-जागरूकता को शामिल किया गया था। योजना के प्रारंभ होने से अब तक लगभग 4.35 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें से 2.37 लाख महिलाएँ उत्तर प्रदेश से थीं। नई रोशनी योजना को वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, जो कि मंत्रालय की पाँच पूर्ववर्ती कौशल विकास एवं सशक्तीकरण योजनाओं को समाहित करते हुए बनाई गई एकीकृत योजना है तथा यह योजना अल्पसंख्यक वर्ग की समुदाय स्तर की आकांक्षाओं एवं चुनौतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ती है तथा प्रासंगिक आधुनिक कौशलों के माध्यम से उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करती है। पीएम विकास योजना के नेतृत्व एवं उद्यमिता उप-घटक का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि उन्हें स्थायी आर्थिक आजीविका के अवसर उपलब्ध हो सकें तथा वे उद्यम/स्वरोजगार उपक्रम स्थापित कर सकें। इसके लिए अन्य उपायों के साथ-साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC), बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) जैसी वित्तीय संस्थाओं से उनका संपर्क एवं समन्वय स्थापित किया जाता है।
